

08
2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारानु उपस्थित।
प्रेसकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा के पत्रावली
में संबंधित जवाब दवा पेश करने से सरकार कर
वाद-पत्र का जवाब दवा पुनः दिए जाने की आवश्यकता
नहीं होने का विवेक किया। पत्रावली में तनलिया
कायम की गई। जिस पर वकील वादी के हस्ताक्षर
मशरूफा तनलियात शाब्किक की गई। पत्रावली
वाकते साक्ष्य वादी व बहस अन्तिम दिनांक 10/8/23
को पेश है।

S.O.O.

10
2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारानु उपस्थित।
वकील वादी के विवेक किया कि पूर्व में साक्ष्य के
शपथ-पत्र दस्तावेज व तहसीलदार सा. रावतभाटा
की रिपोर्ट प्रदर्श करायी जा चुकी है अब और कोई
साक्ष्य प्रस्तुत करना गूरी-चाहत है तथा पत्रावली
में साक्ष्य को बन्द करने का विवेक किया।
वकील वादी ने बहस की। उभय पक्ष के पुनः
गमा। पत्रावली वाकते आदेश दिनांक 23/08/23
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

23
2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारानु उपस्थित।
उभय पक्ष की बहस पर मजक किया। वाद-पत्र
एवं पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अविरोध
कर गहनता से मजक किया गया। जिस वादी
द्वारा बहस के दौरान दी गई दस्तावेजों से हम
संतुष्ट हैं। वादी का वाद-पत्र स्वीकार योग्य
पाया जाता है। अतः वादीगण के वाद-पत्र स्वीकार

